



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221997
CG-DL-E-25092020-221997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]
No. 383]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2020

F. No. CEA-PS-11-23(21)/7/2019-PSPA-I Division.— जबकि मेसर्स एस वी पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नम्बर. 18 एसएफएस, पहली मंजिल, वसंत एनकलेव, राव तुलाराम, नई दिल्ली-110057 है, ने पारेषण योजना “मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (लीड जनरेटर) को मैसर्स एसवी पावर लिमिटेड के कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित 1x63 मेगावाट टीपीएस के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी” के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है। मैसर्स एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड, अपनी होलिंग कंपनी मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (एसीबीआईएल) के साथ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के स्वीकृत आदेश दिनांक 04.02.2020 के द्वारा समामेलित हो गया है। तदनुसार, मेसर्स एसीबीआईएल जिसका पंजीकृत कार्यालय के साथ सी -102, न्यू मुल्तान नगर, रोहतक रोड, नई दिल्ली - 110056 और कॉर्पोरेट ऑफिस 7 वीं मंजिल पर, कार्यालय टॉवर, एंबियंस मॉल, एनएच -8, गुरुग्राम - 122002 है, अब आवेदक है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1)/I/8657/2020 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा पारेषण योजना “मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (लीड जनरेटर) को मैसर्स एसवी पावर लिमिटेड के कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित 1x63 मेगावाट टीपीएस के लिए

अतिरिक्त कनेक्टिविटी” के अंतर्गत शिरोपरि लाइन के लिए मेसर्स एस वी पावर प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (लीड जनरेटर) को मैसर्स एसवी पावर लिमिटेड के कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित 1x63 मेगावाट टीपीएस के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाइन हैं:

- i. एसवी पावर टीपीएस स्विचयार्ड से 400/132 केवी एसीबीआईएल टीपीएस स्विचयार्ड 132 केवी डी / सी लाइन की स्थापना

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

जिला	तहसील	गाँव के नाम
कोरबा (छ.ग.)	पाली	श्रंकी, अंडीकछार, रतिजा, तिवरता
कोरबा (छ.ग.)	कटघोरा	रंजना, फुझर, केलिहामुडा, देवगांव, चाकाबुडा, कसाईपाली

मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (ए.सी.बी.आई.एल.) ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को “मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड (लीड जनरेटर) को मैसर्स एसवी पावर लिमिटेड के कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित 1x63 मेगावाट टीपीएस के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 29.06.2019 से 05.07.2019 के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vii) मेसर्स ए.सी.बी.आई.एल. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी.सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./249/2020-21]

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2020

F. No. CEA-PS-11-23(21)/7/2019-PSPA-I Division.—whereas M/s SV Power Private Limited, the applicant with its registered office at Flat No. 18, SFS, 1st Floor, Vasant Enclave, Rao Tula Marg, New Delhi – 110057 and Corporate Office at 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurugram – 122002, Haryana, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Additional Connectivity to M/s ACB (India) Limited (Lead Generator) for 1x63 MW TPS of M/s SV Power Ltd. at Korba, Chhattisgarh”. M/s SV Power Private Limited has amalgamated with its holding company M/s ACB (India) Limited (ACBIL), sanctioned by National Company Law Tribunal (NCLT) vide order dated 04.02.2020. Accordingly, M/s ACBIL with its registered office at C-102, New Multan Nagar, Rohtak Road, New Delhi – 110056 and Corporate Office at 7th Floor, Office Tower, Ambience Mall, NH-8, Gurugram – 122002, Haryana is the applicant.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India *vide* its file No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part(1)/I/8657/2020 dated 07.01.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s SV Power Private Limited for the overhead lines covered under the transmission scheme “Additional Connectivity to M/s ACB (India) Limited (Lead Generator) for 1x63 MW TPS of M/s SV Power Ltd. at Korba, Chhattisgarh”.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Additional Connectivity to M/s ACB (India) Limited (Lead Generator) for 1x63 MW TPS of M/s SV Power Ltd. at Korba, Chhattisgarh”.

The overhead lines covered under the transmission scheme are given below:

- i. SV Power TPS switchyard – 400/132 kV ACBIL TPS switchyard 132 kV D/c line

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

District	Tehsil	Name of Villages
Korba (Chhattisgarh)	Pali	Renki, Andikachhar, Ratija, Twarta
Korba (Chhattisgarh)	Katghora	Ranjana, Fujhar, Koithamuda, Devgaon, Chakabuda, Kasaipali

M/s ACB (India) Limited (ACBIL) had complied with the MoP’s procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above transmission scheme. Now, after

careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACB (India) Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme “Additional Connectivity to M/s ACB (India) Limited (Lead Generator) for 1x63 MW TPS of M/s SV Power Ltd. at Korba, Chhattisgarh”. The details of the works are published in the Gazette of India dated 29th July – 5th August, 2019.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s ACBIL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P.C. KUREEL, Secy.

[ADVT.- III/4/Exty./249/2020-21]